



[2026:RJ-JD:14531]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3799/2026

Mohan Singh S/o Dolat Singh, Aged About 24 Years, R/o
Nangato Ki Gunvar, Chapli, Police Station Diver, District
Rajsamand, Rajasthan.

(Lodged In Dist. Jail, Rajsamand)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Prakash Banjara, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Sameer Pareek, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दण्ड प्रक्रिया संहिता), पुलिस थाना भीम, राजसमन्द में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 309/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.04.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है। आहत राम सिंह के साथ घटना कारित हुई है, जो पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष



परीक्षित हुआ है, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। सहअभियुक्तगण विक्रम सिंह, देवेन्द्र सिंह व किशन सिंह पर जो आरोप हैं, वही आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर भी हैं। सहअभियुक्तगण विक्रम सिंह व देवेन्द्र सिंह की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Petition(s) for SLP (Crl.) संख्या क्रमशः 1994/2026 व 10410/2025 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 26.02.2026 व 14.10.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अन्य सहअभियुक्त किशन सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5774/2024 आदेश दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य सहअभियुक्त राकेश का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13735/2025 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, वह दिनांक 09.04.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में कुल 31 साक्षीगण हैं, जिनमें से केवल 3 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सहअभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह व किशन सिंह के समान है, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम घटना कारित करने में नहीं बताया गया है। आहतगण के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया



संहिता के बयानों के अनुसार सहअभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, किशन सिंह व प्रार्थी/अभियुक्त मोहन सिंह लोहे के पाईप और लठ लेकर आये तथा उन्होंने आहत प्रेम सिंह के साथ मारपीट की। सहअभियुक्तगण विक्रम सिंह व देवेन्द्र सिंह की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उनके समान ही है। गवाह पी.डब्ल्यू-1 राम सिंह ने अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किये जाने के संबंध में तथ्य नहीं कहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.04.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण में 31 साक्षीगण में से मात्र 3 साक्षीगण के बयान ही लेखबद्ध हुए हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि तथा प्रार्थी/अभियुक्त के समान आरोपित सहअभियुक्तगण के जमानत पर रिहा होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र दौलत सिंह रावत की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J